


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
निविदा सूचना

क्रमांक: एचसी/एसके/2021-22/565

दिनांक : 06.01.2022

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर उपयोगार्थ 25248 नग N-95 Anti Pollution Mask with PM 2.5 Filter की खरीद अर्द्धवार्षिक (06 माह) दर संविदा के तहत करने हेतु दरों के सम्बन्ध में बाजार की विभिन्न फर्मों से मोहरबन्द निविदाएं दिनांक 18.01.2022 दोपहर 02.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें <http://www.hcraj.nic.in> एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी। (निविदा का अनुमानित मूल्य रूपये 2,52,480/-)

आज्ञा से,


रजिस्ट्रार (प्रशासन)

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

Phone No. 0291-2888500-04, 2888385 (Store) Fax No. 0291-2888080, Pin Code - 342013, Email - hc-ri@nic.in

(N-95 Anti Pollution Mask with PM 2.5 Filter क्रय हेतु निविदा प्रपत्र)

- निविदा प्रस्तुत करने वाली :
फर्म का नाम, पता व
दुरभाष नम्बर
- निविदा सूचना क्रमांक : एचसी/एसके/2021-22/565 दिनांक : 06.01.2022
- निविदा शुल्क रूपये 200/- : रसीद संख्या _____ दिनांक _____
- निविदा में वर्णित अनुसार हमारी फर्म द्वारा निम्नानुसार सामग्री बाबत दरें प्रस्तुत की जा रही है:-

S.No.	Specification		Required Qty	Approx. Amount (inclusive all taxes)	@ Rs. Quoted Price (incl. all taxes) Per piece
1	Product Name	N-95 Anti Pollution Mask with PM 2.5 Filter	25248	2,52,480/-	
	Filtration Efficiency	95% of Bacteria & Viruses			
	5 Layer Filtration Technology	1. Layer of skin friendly soft Non-woven 2. Layer of Meltblown filter 3. Layer of Non-woven 4. Layer of Hot Ari Cotton Filter 5. Layer of Non-woven			
	Size	Universal			
	Nose Clamp	yes			
	Ear Loops	Ultrasonic welded			
	Cerified by	FDA/Sitra/CE/ISO 9001:2015			
	Standard	GB2626-2006			
	Form Fitting	The flexible nose clamp to provide a custom fit, combine with stretchable braided ear bands ensure a soft and comfortable fit to reduce skin irritation over long periods of wear time.			
	Light Weight	The vertical folding design and overall light weight structure for easy to store and carry.			
Other	Excellent filtration performance, Made of High Quality Thick Material, Provides a solid sense of coverind				

- हमारी फर्म आपके कार्यालय द्वारा दिये गये सप्लाई आदेश में वर्णित अनुसार अर्द्धवार्षिक अनुबन्ध के तहत माल सप्लाई किये जाने हेतु बाध्य रहेगी।
- हमारी फर्म आपके कार्यालय द्वारा स्वीकृत नमूनेनुसार, वांछित क्वालिटी एवं मापदण्ड की सामग्री की ही सप्लाई किये जाने हेतु बाध्य रहेगी।
- हमारी फर्म द्वारा निविदा के मूल्य की 2 प्रतिशत अमानत राशि अमानत राशि रूपये _____ जरिये DD No./ P.R.No _____ तारीख _____ द्वारा जमा कराई गई, मूल प्रति संलग्न है।
- हमारी फर्म उपरोक्त सामग्री सप्लाई करने के लिये अधिकृत है व बिक्री विभाग में पंजीकृत है। हमारी फर्म के GSTIN No. _____ एवं PAN No. _____ है।
- हमारी फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र के संलग्न सभी प्रपत्रों एवं अन्य वांछित दस्तावेज हस्ताक्षर मय सील निविदा प्रपत्र के संलग्न प्रस्तुत कर दिये गये हैं।
- हमारी फर्म इस निविदा में दर्शाई गई समस्त शर्तों का पालने करने के लिये सहमत है। तथा इसकी सहमति में हमने संलग्न (नियम एवं शर्त सहित) प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मोहर, कर दिये हैं।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता

मय पता सील मोहर

नोट: निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से साफ सुथरें अक्षरों में भरकर दिनांक 18.01.2022 को दोपहर 02.00 बजे तक कार्यालय में पहुँच जाना चाहियें।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: N-95 Anti Pollution Mask with PM 2.5 Filter क्रय करने हेतु की गई निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें ::

A. निविदा जारी करने वाले का नाम एवं निविदा का विवरण

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (राज०), फोन: 0291-2888500-04, 0291-2888385(स्टोर अनुभाग) फैक्स: 0291-2888080, ईमेल - hc-ri@nic.in,
2. निविदा प्रपत्र दिनांक 10.01.2022 से दिनांक 17.01.2022 को सायं 5.00 बजे तक निर्धारित शुल्क देकर मुख्य रोकडपाल से प्राप्त किया जा सकता है अथवा कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त मोहरबंद निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी जाकर दिनांक 18.01.2022 दोपहर 02.00 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 18.01.2022 को ही दोपहर 03:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। विलम्ब से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।
3. उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन नियमानुसार समाचार पत्रों में करने के साथ विभाग की अधिकृत वेबसाइट <http://hcraj.nic.in/tender.aspx> एवं राज्य सरकार की वेबसाइट <https://sppp.rajasthan.gov.in> पर किया जायेगा।
4. निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने पर निविदा शुल्क हेतु रुपये 200/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पक्ष में बनवाकर निविदा प्रपत्र के संलग्न प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
5. निविदादाता से अपेक्षित है कि वह निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा का भली-भाँति अध्ययन कर ले। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु निविदा सूचना की अंतिम तिथि से पूर्व तक कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है। अन्तिम तिथि के पश्चात स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा। तथापि विभाग किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. अंतिम दिनांक और समय तक प्राप्त निविदाओं को ही मूल्यांकन के लिये योग्य माना जायेगा। मूल्यांकन की सुविधा के लिये कार्यालय अपने विवेकानुसार किसी भी बोलीदाता से लिखित में स्पष्टीकरण मांग सकता है।
7. विभाग द्वारा समय पर प्राप्त निविदाओं को, निविदा सूचना में दर्शाये गए समय एवं दिनांक को क्रय समिति तथा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।
8. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र को निर्धारित प्रारूप मय अनुलग्नों के तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर व मोहर लगाकर कार्यालय में जमा करवाना होगा।
9. विभाग को किसी भी स्तर पर निविदा को, पूर्णतः(Completely) अथवा अंशतः(Partly) को, स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त निविदाओं के निविदादाताओं से कोई विचार-विमर्श नहीं किया जायेगा।
10. निविदा प्रपत्र में बतायी गयी शर्तों के अतिरिक्त निविदादाता की कोई भी अन्य शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।

B. सामग्री की गुणवत्ता और नमूना

1. निविदादाता द्वारा N-95 Anti Pollution Mask की सप्लाई कार्यालय में उपलब्ध नमूने अनुसार या उससे अच्छी गुणवत्ता की करनी होगी साथ ही उनके द्वारा निविदा में प्रस्तुत किये गये N-95 Anti Pollution Mask (with Packing) का नमूना आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा, जो कि निविदा के निस्तारण के पश्चात सम्बन्धित को लौटा दिया जायेगा। अन्यथा निविदा निरस्त मानी जायेगी।
2. यदि निविदादाता द्वारा एक या उससे अधिक N-95 Anti Pollution Mask की दरें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे सभी प्रकार के मास्क के नमूने संलग्न करने आवश्यक होंगे। अन्यथा निविदा निरस्त मानी जायेगी।
3. सभी निविदादाताओं को अपनी फर्म के लेटर हेड पर आवश्यक रूप से उनके द्वारा दी गई दरों के सम्बन्ध में आइटम्स का ब्राण्ड एवं मॉडल आवश्यक रूप से संलग्न करना है ताकि प्राप्त दरों का तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है।
4. यदि किसी फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र (Tender Form) में दी गई दरें न्यूनतम (Lowest) पायी जाती हैं एवं उसके द्वारा दी गई दर के सम्बन्ध में सामग्री का ब्राण्ड एवं मॉडल का उल्लेख नहीं किया जाता है अथवा सामग्री का नमूना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो न्यूनतम बोली प्रस्तुत करने वाला निविदादाता कार्यालय के नमूनानुसार/निविदा में प्राप्त अनुसार उच्चतम क्वालिटी के ब्राण्ड एवं मॉडल की सामग्री को देने के लिये बाध्य होगा।
5. निविदा में वर्णित वस्तु/सामान का नमूना, वांछित गुणवत्ता इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।
6. सफल निविदादाता के स्वीकृत नमूने अनुबंध समाप्ति तक कार्यालय में रोके जायेगे इनके जाँच इत्यादि अथवा अन्य कारणों से हुये नुकसान के लिये वह उनकी लागत के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकता है।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

लगातार.....02

C. पात्रता के मानदंड (Eligibility Criteria)

1. निविदा फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/साझेदारों/मालिक/कम्पनी सचिव के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भरी जाने की अवस्था में उस व्यक्ति का निविदा भरने हेतु फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/साझेदारों/मालिक/कम्पनी सचिव के द्वारा अधिकृत किया जाने वाले दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/साझेदारों/मालिक/कम्पनी सचिव के द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।
2. पंजीकरण:-
 - (a) निविदादाता के पास राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत अथवा इसके समकक्ष अधिनियम के तहत अन्य राज्य/केन्द्र में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
नोट:- (किसी भी पंजीकरण के लागू नहीं होने की दशा में निविदादाता को स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र लैटर हैड पर अनिवार्य रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा)
 - (b) पंजीकरण प्रपत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करनी चाहिये जिसके अभाव में निविदा निरस्त की जा सकेगी।
3. **कार्यानुभव:-** निविदादाता को निविदा में वर्णित सामान या इस तरह के सामान के सप्लाई कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए एवं इस तरह के सामान सप्लाई करने के लिये पंजीकृत होनी चाहिये।
4. **धरोहर राशि(Earnest Money) :**
 - (i) निविदादाता को अमानत राशि (Earnest Money) हेतु निविदा के अनुमानित मूल्य की 2 प्रतिशत राशि (रूपये 5050/-) रोकड़ अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में कार्यालय में जमा करवानी होगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट 'रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर' के नाम से देय होगा एवं रोकड़ राशि निविदा के अन्तिम तिथी से पूर्व कार्यालय के रोकड़पाल को जमा करवाकर इसकी प्राप्ति रसीद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न आवश्यक रूप से जमा करवानी होगी।
 - (ii) तथापि, यदि निविदादाता किसी प्रकार की नियमानुसार छूट चाहता है तो उसे निविदा में उसका उल्लेख करते हुए सम्बन्धित प्रपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए अन्यथा उक्त निविदा को छूट के योग्य नहीं समझा जायेगा।
 - (iii) यदि कोई निविदा प्रपत्र बिना धरोहर राशि के अथवा निर्धारित अमानत राशि से कम का पाया जाता है तो उसे बिना कारण बताये अस्वीकार किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
 - (iv) सभी असफल निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा अमानत राशि निविदा के सफल निस्तारण के पश्चात लौटा दी जायेगी तथा इसके लिये किसी प्रकार का ब्याज इत्यादि देय नहीं होगा।
5. **प्रतिभूति राशि (Security Deposit) :** सफल निविदादाता को सप्लाई आदेश प्राप्ति के पश्चात 7 दिवस के भीतर Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के नियम 75 के प्रावधानों के अनुसार निविदा के अनुमानित मूल्य की 5 प्रतिशत राशि नकद/ बैंक गारण्टी/डी.डी. प्रतिभूति राशि के रूप में रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में जमा करानी होगी। निविदा के संलग्न जमा 2 प्रतिशत अमानत राशि (Earnest Money) इसमें समायोजन योग्य होगी।

D. अमानत राशि (Earnest Money) का समपहण/जब्ती:-

1. जब निविदादाता निविदा खुलने के पश्चात अपनी निविदा प्रत्याहृत या उपांतरित करता है ;
2. जब निविदादाता प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है :-
 - (a) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है ;
 - (b) जब निविदादाता प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य संपादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है ;
3. यदि निविदादाता Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के अध्याय 6 (CHAPTER VI) में विनिर्दिष्ट निविदादाता के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

दिनांक :
स्थान :

4

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

लगातार.....03

E. प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Security Deposit) :-

1. निविदादाता द्वारा संविदा में वर्णित किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करता है तो प्रतिभूति राशि को समपहृत कर लिया जाएगा।
2. निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहता है तो प्रतिभूति राशि को समपहृत कर लिया जाएगा।
3. जमा कराई गई प्रतिभूति राशि को समपहृत (Forfit) करने से पूर्व युक्तियुक्त समय देते हुए निविदादाता को नोटिस दिया जाएगा।
4. प्रतिभूति राशि (Security Money) को समपहृत (Forfit) किये जाने की स्थिति में उक्त राशि विभाग के शीर्ष "अन्य प्राप्तियों" में जमा करायी जाएगी तथा अन्तरण प्रविष्टि की व्यवस्था लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
5. अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के तीन माह पश्चात प्रतिभूति राशि निविदादाता को लौटा दिया जावेगा।

F. अपात्रता

1. निविदाएं निम्न कारणों से अपात्र घोषित की जा सकती है :
 - (a) निविदा सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त हुई निविदाएं।
 - (b) बिना निविदा मूल्य एवं अमानत राशि (Earnest Money) के जमा निविदाएं।
 - (c) अपूर्ण निविदायें एवं भ्रामक अथवा गलत तथ्य/ दावे प्रस्तुत करने वाली निविदायें।
 - (d) विभाग द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण को न प्रदान कर पाना/ स्पष्टीकरण को विभाग द्वारा चाहे गये तय समय से देरी से प्रदान करना।
 - (e) एक से ज्यादा निविदाएं प्रस्तुत करना। ऐसा होने पर फर्म द्वारा भरी गयी समस्त निविदाएं तकनीकी मूल्यांकन में निरस्त की जा सकेंगी।
 - (f) अपूर्ण व सशर्त निविदा प्रस्तुत करना।
 - (g) तकनीकी व अन्य समस्त अहर्ताओं का पूर्ण न कर पाना।
 - (h) निविदादाताओं अथवा उसके किसी प्रतिनिधि का अवांछित रूप से प्रभाव डालना/डलवाना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टीकरण करना।
 - (i) अल्प वैधता वाली निविदा प्रस्तुत करना।
 - (j) वांछित अनुभव का ना होना।

G. सामान्य नियम, शर्तें एवं भुगतान

निविदा हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगे।

1. वित्तीय निविदा में शब्दों एवं अंकों में भिन्नता पाए जाने की स्थिति में शब्दों में वर्णित दरों को ही मानते हुए तुलना की जावेगी। यदि गणना में कोई त्रुटि है तो अलग अलग दरों को सही मानते हुए इनके योग की गणना कर तुलना हेतु लिया जावेगा।
2. यदि सप्लाई की गई सामग्री राजस्थान उच्च न्यायालय, प्रशासन की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो फर्म की संविदा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है और अन्य फर्म से कार्य करवाने पर अन्तर की राशि के लिये फर्म जिम्मेवार रहेगी।
3. क्रय समिति को गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा। क्रय समिति न्यूनतम निविदादाता व निविदादाताओं को **Negotiation** के लिये आमंत्रित कर सकती है। इसके बावजूद दरें अनुकूल नहीं पाये जाने पर अथवा कार्य वांछित गुणवत्ता का न होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है जिसके लिए निविदादाता को कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
4. क्रय समिति कार्य की प्रकृति का देखते हुए सभी निविदादाताओं को एक साथ वार्ता (**Negotiation**) के लिये बुलवाने के लिए स्वतंत्र होगी।
5. सम्पूर्ण अवधि तक कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की अवधि नियमानुसार बढ़ायी जा सकेगी।
6. सफल निविदादाता को कार्यादेश दिए जाने की दिनांक से 07 दिवस में नियमानुसार/कार्यादेश में वर्णित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध/करार पत्र मुद्रित कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. क्रय समिति कार्य की प्रकृति को देखते हुए सभी निविदादाताओं को एक साथ वार्तालाप के लिये बुलवाने के लिए स्वतंत्र होगी।
8. संविदा को किसी स्तर पर रद्द करने का अधिकार रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में निहित रहेगा। न्यूनतम दरें स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है।
9. सम्बन्धित फर्म को कार्यादेश में वर्णित सामान की सप्लाई आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिवस(15) के भीतर करनी होगी।
10. सफल निविदादाता फर्म द्वारा सप्लाई किये जाने वाले सम्बन्धित मास्क की गुणवत्ता कार्यालय द्वारा वांछित मापदण्डों अनुसार होनी आवश्यक है। यदि सप्लाई किये गये मास्क की गुणवत्ता में कमी पायी जाती है तो उक्त सभी मास्क सम्बन्धित फर्म द्वारा बदलते हुए वांछित गुणवत्ता अनुरूप दिये जाने होंगे।
11. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के General Financial and Accounts Rules, Transparency in Public Procurement Act, 2012 एवं Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के प्रावधान भी लागू होंगे।

दिनांक :
स्थान :

4

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर
लगातार.....04

Annexure-A
Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in an bidding process if, including but not limited to;

- (a) have controlling partners/shareholders in common; or
- (b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- (c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) the bidder participates in more than one Bid in the bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- (f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

(h)

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर
लगातार.....05

Annexure-B
Declaration by The Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bid No. Dated..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/We are not insolvent in receivership , bankrupt or being wound up, nor have my/our affairs administered by a court or a judicial officer. My/our business activities have not been suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, neither have our directors and officers, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, I/we have not been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place :

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:

दिनांक :
स्थान :



हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

Annexure-C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Appellate Authority

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para(2), or if the Bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para(1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any. Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for Filing Appeal

- (a) Fee for filing appeal shall be rupees two thousand five hundred, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of a bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.



दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर
लगातार.....07

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public
Procurement Act, 2012**

Appeal No of
Before.....(Appellate Authority)

1 Particulars of appellant:

- (i) Name and father's name of the appellant :.....
(ii) Official address :.....
.....
(iii) Residential address :.....
.....

2. Name and address of the respondent(s)

- (i)
(ii)
(iii)

2. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order, or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved

3. If the Appellant proposes to be represented by :.....
a representative the name and postal address
of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclose with the appeal:

6. Grounds of appeal:-
.....
.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer
.....

Place

Date

Appellant's Signature



दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर
लगातार.....08